

दिनांक 12-11-18

प्रकरण आज लोक अदालत में पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ उप0।

आरोपी सोनू, रघुराज, ग्याराम, स्वयं सहित
श्री अरुण श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।

फरियादी रघुनाथ ने उपस्थित होकर अवयस्थ
आहत सुरक्षा की ओर से ने राजीनामा करना व्यक्त
किया और राजीनामा की अनुमति बाबत आवेदन
पेश किया।


प्रकरण का अवलोकन किया गया जिससे
दर्शित है कि आरोपी सोनू, ग्याराम, रघुराज के
विरुद्ध भादस की धारा 325 विकल्प में 325/34
भादवि के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार किया गया है
जो न्यायालय की अनुमति उपरांत राजीनामा योग्य
है। फरियादी रघुनाथ कुशवाह ने अवयस्क सुरक्षा
जिसका वह पिता है और धारा 320 दं0प्र0स0 के
अधीन सुरक्षा की ओर से सविदा करने हेतु सक्षम
है, ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी
दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है।
राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के
अनुरूप है। आवेदक रघुनाथ कुशवाह राजीनामा

करने के लिये सक्षम है। अतः उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार करते हुए उन्हें राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आरोपीगण व फरियादी रघुनाथ कुशवाह द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित राजीनामा पेश किया गया है। अतः राजीनामा के आधार पर आरोपी सोनू ग्यादीन व रघुराज को भादस की धारा 325 विकल्प में 325/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।


ज्योती गर्ग
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत पीठ
कमांक -22


सदस्य

श्री प्रमोद स्वामी एड गोहद

श्री सतेन्द्रसिंह तोमर एड गोहद

रघुनाथ

कुशवाह




पेश किया गया

गोहद

रघुराज

सोनू



वगैरा

